भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3597
सोमवार, 11 अगस्त, 2025/ 20 श्रावण, 1947, (शक)

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण

3597. डॉ. शशि थरूर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिशत कितना है;
(ख) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पंजीकरण दरों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार केरल जैसे राज्यों में, जहाँ पंजीकरण दर कम है, पंजीकरण दरों में सुधार के लिए कदम उठा रही है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने कई राज्यों में कम पंजीकरण दरों के कारणों का आकलन किया है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारम्भ किया । ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और सहयोग प्रदान करना है।

6 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं। भारत में 38.37 करोड़ असंगठित कामगारों का लक्ष्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित है। दिनांक 06.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के 80.74 प्रतिशत कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

केरल जैसे राज्यों में पंजीकरण दरों में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठक आयोजित करना।

ii. सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के साथ नियमित बैठक करना।

iii. रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

iv. सरकारी योजनाओं की वन-स्टॉप सर्च करने और उन्हें देखने के लिए, ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

v. जागरूकता सृजित करने के लिए एसएमएस अभियान चलाना।

vi. ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है । असंगठित कामगारों को सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सेवा केन्द्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केन्द्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है।

vii. ई-श्रम योजना के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं । ये शिविर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) और राज्य श्रम विभाग के समन्वय से आयोजित किए जाते हैं।

ई-श्रम और इससे संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच को और बढ़ाने के लिए , श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 24 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारम्भ किया। यह एप्लिकेशन, ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक रियल टाइम पहुंच की सुविधा प्रदान करता है , जिससे पहुंच और उपयोगकर्ता सुविधा दोनों मजबूत होते है।

ई-श्रम पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा ई-श्रम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन/प्रभाव आकलन किया गया है।

*

*****

अनुबंध

"श्रम पोर्टल पर पंजीकरण" के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3597 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 06.08.2025 तक की स्थिति के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारो का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण।

क्र. सं.	राज्य	कुल पंजीकरण
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34,469
2	आंध्र प्रदेश	86,22,387
3	अरुणाचल प्रदेश	2,09,958
4	असम	77,15,451
5	बिहार	3,00,34,407
6	चंडीगढ़	1,88,535
7	छत्तीसगढ	86,03,940
8	दिल्ली	35,79,900
9	गोवा	83,045
10	गुजरात	1,21,82,198
11	हरियाणा	54,02,495
12	हिमाचल प्रदेश	20,03,730
13	जम्मू और कश्मीर	35,99,468
14	झारखंड	96,95,868
15	कर्नाटक	1,08,90,878
16	केरल	60,67,270
17	लद्दाख	34,696
18	लक्षद्वीप	2,843
19	मध्य प्रदेश	1,89,35,180
20	महाराष्ट्र	1,78,58,557
21	मणिपुर	4,64,058
22	मेघालय	3,52,550
23	मिजोरम	72,266
24	नागालैंड	2,38,368
25	ओडिशा	1,36,08,918
26	पुदुचेरी	1,94,852
27	पंजाब	58,64,319
28	राजस्थान	1,49,11,234
29	सिक्किम	48,866
30	तमिलनाडु	93,19,353
31	तेलंगाना	45,43,773
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	75,426
33	त्रिपुरा	8,96,418
34	उत्तर प्रदेश	8,39,85,998
35	उत्तराखंड	30,86,506
36	पश्चिम बंगाल	2,64,82,016

****